न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनाक	निर्णय दिनाक
197/2023	06.06.2023	16.01.2024

उनवान

1. श्री नारायणलाल पिता कालू तेली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामचन्द पिता नाथू तेली निवासी तेलीयो की बारी देवली रोड पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री शंकर पिता जग्गु तेली निवासी तेलीयो की बारी देवली रोड पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री लेहरू पिता जग्गु तेली निवासी तेलीयो की बारी देवली रोड पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री कैलाश पिता रामलाल तेली निवासी तेलीयो की बारी देवली रोड पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति सायरी पत्नि दुर्गाशंकर शर्मा निवासी नागौरी मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री बंशीलाल पिता गोकल लाल शर्मा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्रवण कुमार सैन
अप्रार्थी सख्या 05 विवेकानन्द शर्मा
अप्रार्थी सख्या 1 से लगायत 4, 6,7 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम –

– निर्णय –

सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 309 की अभिलिखित आराजियात आराजी सख्या 4497 रकबा 0.2276 है0, आराजी सख्या 4501 रकबा 0.1770 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.4046 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 04, 6, 7 नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 05 का जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब का अवसर बन्द किया जाता है।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चितन मनन किया एव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली म प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमाकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमाकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमाकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सवत 2069–2073 के खाता सख्या 309 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 4497 रकबा 0.2276 है0, आराजी सख्या 4501 रकबा 0.1770 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.4046 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति मे कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एव मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है. कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस मे आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार मे भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad
16/1/24

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा